(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

एफ.सं. 10/4/2018-यू.3 (ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1

दिनांक 14 फरवरी, 2019

<u>अधिसूचना</u>

जबकि, केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी के परामर्श से, किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, अपनी दिनांक 21.01.2003 की अधिसूचना सं.9-1/2002-यू3 के जरिये डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई को जिसमें (i) थाई मूगाम्बिगाई दंत कॉलेज और अस्पताल, चेन्नई और (ii) डॉ. एम. जी. आर. इंजीनियरिंग कॉलेज, मदुरावोयल, चेन्नई शामिल हैं, तीन वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने यूजीसी के परामर्श से अपनी दिनांक 02.07.2018 की अधिसूचना सं. 9-1/2002-यू. 3 (पार्ट. 1) के जरिये डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई को कतिपय शर्तों के अध्यधीन दिनांक 30.06.2019 तक समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है।

3. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने अपनी दिनांक 25.09.2014 की अधिसूचना सं. 10-9/2007- यू. 3(ए) के जरिये एसीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चेन्नई को एक घटक संस्था के रूप में डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के दायरे में लाने की अनुमति दी थी।

4. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, समविश्वविद्यालय संस्था ने दिनांक 18.06.2018 को राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरू, कर्नाटक को डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु के दायरे में लाने का आवेदन दिया था। यह आवेदन यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अनुसार जांच और परामर्श के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया था।

5. **और जबकि,** यूजीसी ने भारतीय चिकित्सा परिषद के नामिति वाली अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से इस आवेदन की जांच की। समिति ने एकमत से संस्तुति की कि डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु के राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (आरआरएमसीएच), बेंगलुरू को अपने दायरे में लाने के आवेदन पर यूजीसी द्वारा विचार किया जाए। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट इसकी दिनांक 14.11.2018 को आयोजित 536वीं बैठक (मद सं. 2.04) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था और संस्तुतियों को अनुमोदित किया था।

6. **अत: अब,** केन्द्र सरकार, एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श पर, निम्निलखित शर्तों पर राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरू, कर्नाटक को डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु के दायरे में लाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करती है:-

i. यह घोषणा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगी।

ii. डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु केवल उन छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेगा जिन्होंने राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरू में इसके संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरू से संबंधन समाप्त करने के बाद नामांकन कराया है।

iii. राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरू में इसके डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु में शामिल किए जाने से पूर्व नामांकन कराने वाले छात्रों को उसी विश्वविद्यालय से डिग्रियां मिलेंगी जिसके साथ संस्था उनके नामांकन के समय संबद्ध थी।

iv. घटक संस्था के समग्र कार्य- निष्पादन की निगरानी आयोग द्वारा छह वर्षों तक अर्ध-वार्षिक तौर पर और तदोपरांत मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के संबंध में इसके निदेश घटक संस्था पर बाध्यकारी होंगे।

v. इस मंत्रालय में विनिर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का समविश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा।

vi. राजाराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरू, कर्नाटक की सभी चल और अचल आस्तियां/संपत्तियां एवं वर्तमान कार्मिक और इसके रिकॉर्ड (उन छात्रों के रिकॉर्डों से इतर रिकॉर्ड जो पहले से पंजीकृत थे और संस्थान से उत्तीर्ण हो गए हैं) डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई , तमिलनाडु के नाम में होंगी।

vii. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बगैर समविश्वविद्यालय संस्था/ अथवा इसकी घटक संस्था की निधियों/ राजस्व का कोई विपथन नहीं होगा।

viii. डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई , तमिलनाडु और इसकी घटक संस्था ऐसी किसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होगी जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभकारी हो।

ix समविश्वविद्यालय की घटक संस्थाओं पर प्रस्तावित किए जा रहे/ प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप होंगे।

x. समविश्वविद्यालय संस्था, अपनी सभी घटक इकाईयों में शोध कार्यक्रम और डॉक्टरल एवं नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।

xi छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद के सभी निर्धारित

मानदंड और प्रक्रियाविधि लागू रहेंगी और डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई, तमिलनाडु और इसकी घटक संस्थाओं द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

xii. जैसे और जब भी आवश्यक हो, डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई , तमिलनाडु और इसकी घटक संस्थाएं समय- समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन (एमओए)/नियमों को अद्यतन या संशोधित या उपांतरित करेंगी।

xiii. डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), चेन्नई , तमिलनाडु समय- समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 में निहित यूजीसी के अनुदेशों का पालन करेगा।

ईशिता राय

(ईशिता रॉय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011- 23381721

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली- 110002

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

1 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

2. कुलपति, डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, मदुरावोयल, चेन्नई - 600095, तमिलनाडु।

3. कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पट्टाभीरामा नगर, जयनगर, बेंगलुरू- 560041 कर्नाटक को इस अनुरोध के साथ कि राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलुरू को अपने दायरे से संबंधन समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

4. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग), तमिलनाडु सरकार सचिवालय, चेन्नई -600009, तमिलनाडु।
5. प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार सचिवालय, एम. एस. बिल्डिंग, डॉ. बी. आर. अंबेडकर वीडी, बंगलौर- 560001.
6. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंतकुंज, नई दिल्ली -110070
7. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेस-1, नई दिल्ली-110075
8. सचिव, भारतीय दंत परिषद (डीसीआई), एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेंपल लेन, नई दिल्ली-110002.
9. अवर सचिव (एमई- भाग. II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.
10. प्रेस पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस एकक को आवश्यक अनुदेश दें।
13. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्रत प्रधान

(सुब्रत कुमार प्रधान)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23387948